



Neutral Citation No. - 2026:AHC:491

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43248 वर्ष 2025

राजू कुशवाहा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गणेश मणि, सुगंधा यादव, विनोद कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय कुमार सिंह की बात सुनी गई और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

धारा 483 बीएनएसएस के तहत यह जमानत याचिका आवेदक राजू कुशवाहा की ओर से दायर

की गई है, जिसमें उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। यह मुकदमा अपराध संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



169/2025, धारा 8/20 मादक पदार्थ और मनोरोगी पदार्थ के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन- जटाहन बाजार, जिला- कुशीनगर में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 1.800 किलोग्राम गांजा कथित तौर पर आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है। बरामद की गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 10.11.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि से होने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित परिस्थितियाँ, मुकदमे में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य का व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी **राजू कुशवाहा** को, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आरोपी जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आरोपी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने से पहले की जाएगी।

05 जनवरी 2026

दीपक/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।